

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर

—000—

क्रमांक एफ 10-30 / 2019 / कौ.वि. / 42,
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/08/2019

समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला कौशल विकास प्राधिकरण,
जिला..... (छ.ग.)।

विषय:- राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत 14 से 45 वर्ष आयु के युवाओं को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न कोर्स में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

2/ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित किये जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा राज्य स्तर, तथा शासन स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। योजना की समीक्षा के दौरान मैदानी स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कई प्रकार की खामियां पायी गई, जिसे समाप्त करते हुए योजना के बेहतर क्रियान्वयन, कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि एवं शत्-प्रतिशत नियोजन के आधार पर कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्व में प्रचलित दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी।

3/ अतः पूर्व में प्रचलित दिशा-निर्देशों की कमियों को दूर करते हुए उनमें आंशिक संशोधन के उपरांत नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

4/ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के पूर्व में प्रचलित दिशा-निर्देश तथा नवीनतम दिशा-निर्देश का तुलनात्मक विवरण “परिशिष्ट-अ”, नवीनतम दिशा-निर्देश “परिशिष्ट ब” तथा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013 एवं छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 की संशोधित प्रति, पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

5/ उपरोक्त नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

RP
(रेणु जी. पिल्ले)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

क्रमशः.....2

.....2.....

पृ. क्रमांक एफ10-30/2019/कौ.वि./42,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।
2. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
3. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, (प्रशिक्षण पक्ष), इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल प्राधिकरण, पुराना पुलिस मुख्यालय, परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
7. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

RP
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
BP

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु
पूर्व में जारी गाईडलाईन तथा नवीनतम गाईडलाईन का तुलनात्मक अध्ययन

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाईडलाईन में किये गये प्रावधान
कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स		
1	माड्यूलर इम्प्लॉयेबल स्किल्स (MES) तथा राष्ट्रीय कौशल अहता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित कोर्स में प्रशिक्षण	पूर्णतः राष्ट्रीय कौशल अहता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित कोर्स में प्रशिक्षण
व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) पंजीयन हेतु प्रक्रिया		
2	वीटीपी पंजीयन हेतु आवेदक संस्था की योग्यता - छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम 2013, के कंडिका क्रमांक 2.1 के अनुसार	वीटीपी पंजीयन हेतु आवेदक संस्था की योग्यता - छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम 2013, के कंडिका क्रमांक 2.1 के अनुसार ही रखी गई है।
3	वीटीपी पंजीयन हेतु शुल्क का निर्धारण - प्रावधान नहीं था।	वीटीपी पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क राशि रु. 10,000 तथा पंजीकृत वीटीपी में नवीन कोर्स जोड़ने के लिए राशि रु. 1500 का डिमांड ड्राफ्ट (नॉन-रिफेन्डेबल) अनिवार्य किया गया है। शासकीय संस्थाओं को छूट प्रदान की गई है।
4	आवेदित संस्था का निरीक्षण - मूल्यांकन समिति का गठन तथा सेक्टर विशेषज्ञ द्वारा आवेदित संस्था का निरीक्षण	CSSDA द्वारा आवेदित संस्था का निरीक्षण हेतु निरीक्षण समिति का गठन - <ul style="list-style-type: none">पॉलिटेक्निक के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्षसंबंधित जिले के सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरणसेक्टर विशेषज्ञ - पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई/कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत सेक्टर से संबंधित व्याख्याता/अध्यापक/विशेषज्ञ होंगे।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाइलाईन में किये गये प्रावधान
5	<p>आवेदित संस्था द्वारा वीटीपी पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन, संस्था की सामान्य जानकारी के साथ प्रपत्र अ एवं ब में करना। पंजीयन प्रपत्र अंक आधारित थे, जिसमें प्रपत्र अ के लिए 50 अंक तथा प्रपत्र ब के लिए 50 अंक निर्धारित थे।</p> <p>प्रपत्र अ एवं ब के अंकों को मिलाकर संस्था की ग्रेडिंग की जा रही थी, तथा पूर्व में इसका सत्यापन किये जाने का प्रावधान नहीं था।</p>	<p>आवेदित संस्था द्वारा वीटीपी पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन, संस्था की सामान्य जानकारी के साथ प्रपत्र अ एवं ब में करना। पंजीयन प्रपत्र अंक आधारित थे, जिसमें प्रपत्र अ अनिवार्य है तथा प्रपत्र ब के लिए 100 अंक निर्धारित है। प्रपत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।</p> <p>प्रपत्र ब में उपलब्ध करायी गई जानकारी के सत्यापन के उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर निरीक्षण समिति द्वारा आवेदित संस्था की ग्रेडिंग की जायेगी।</p>
6	<p>आवेदित संस्था द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज सहित हार्डकॉपी में आवेदन, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण को सौपना। समय सीमा निर्धारित नहीं।</p>	<p>आवेदित संस्था द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज सहित हार्डकॉपी में आवेदन, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण को निश्चित समय-सीमा में सौपना।</p> <p>समय सीमा 7 दिवस के भीतर।</p>
7	<p>आवेदित संस्था से प्राप्त आवेदन का सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं होना।</p>	<p>आवेदित संस्था से प्राप्त आवेदन का सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए समय सीमा 3 दिवस निर्धारित होना।</p>
8	<p>सेक्टर विशेषज्ञ द्वारा जांच कर, जांच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना, तदूपरांत मूल्यांकन समिति द्वारा पंजीयन की अनुशंसा करना। अनुशंसा के आधार पर सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करना।</p> <p>समय-सीमा निर्धारित नहीं।</p>	<p>आवेदित संस्था द्वारा पंजीयन प्रपत्र में उपलब्ध करायी गई जानकारी का, निरीक्षण समिति द्वारा अंक आधारित सत्यापन, संस्था में किये गये निरीक्षण की विडियोग्राफी कर निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक संचालक आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>समय सीमा - 7 दिवस</p>
9	<p>मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर पंजीयन करने तथा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही सहायक संचालक द्वारा करना। समय सीमा का निर्धारण नहीं।</p>	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पंजीयन करने तथा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही सहायक संचालक द्वारा करना।</p> <p>समय सीमा - 3 दिवस</p>

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाइलाईन में किये गये प्रावधान
10	मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन होने की दशा में डॉक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ सहायक सचालक द्वारा राज्य प्राधिकरण को पत्र प्रेषित करना। समय-सीमा का निर्धारण नहीं।	निरीक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से अग्रेषित किए जाने की समय-सीमा 7 दिवस तथा कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ सहायक सचालक द्वारा राज्य प्राधिकरण को पत्र प्रेषित करना, निर्धारित समय-सीमा - 7 दिवस।
11	मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन नहीं होने की दशा में कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के उपरांत सहायक सचालक द्वारा संबंधित वीटीपी को कारण स्थित सूचना प्रदान करना। समय-सीमा का निर्धारण नहीं।	निरीक्षण कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन नहीं होने की दशा में कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के उपरांत सहायक सचालक द्वारा संबंधित वीटीपी को कारण सहित सूचना प्रदान करना। निर्धारित समय-सीमा - 7 दिवस
12	कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ सहायक सचालक से प्राप्त आवेदन के आधार पर वीटीपी पंजीयन का अनुमोदन/निरस्तीकरण राज्य प्राधिकरण द्वारा करना। समय-सीमा का निर्धारण नहीं।	आवेदित संस्था के निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान की गई विडियोग्राफी का अवलोकन कर संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन अथवा निरस्तीकरण का अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा - 7 दिवस
13	प्रावधान नहीं था।	पंजीयन उपरांत आवेदित संस्थान से राशि रु. 50,000 की बैंक गारंटी (शासकीय संस्थान को छूट) तथा शासकीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग पार्टनर से अनुबंध की दशा में उक्त बैंक गारंटी ट्रेनिंग पार्टनर से लिया जाना आवश्यक होगा।
कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का मोबिलाईजेशन तथा काऊंसलिंग		
14	<ul style="list-style-type: none"> जिला प्रशासन के द्वारा सभी जिलों में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया के माध्यम से मोबिलाईजेशन एवं काऊंसलिंग का कार्य किया जाना 	<ul style="list-style-type: none"> रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के आकड़े का उपयोग प्राथमिकता से किया जाना। मोबिलाईजेशन कार्य संबंधित वीटीपी द्वारा किया जा सकता है।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गार्डलाईन में किये गये प्रावधान
14		<ul style="list-style-type: none"> शासकीय वीटीपी हेतु मोबिलाईजेशन टीम का गठन कर मोबिलाईजेशन कार्य संपन्न किया जा सकता है। काऊसलिंग की उच्च मानक प्रक्रिया अपनायी जायेगी जिसमें <ul style="list-style-type: none"> लघु फ़िल्म, प्रस्तुतीकरण तथा साइकोमेट्रिक टेस्ट लघु फ़िल्म एवं प्रस्तुतीकरण राज्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। कौशल प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों की काऊसलिंग जनपद स्तर पर आयोजित की जायेगी।
कौशल प्रशिक्षण हेतु बैच का निर्माण		
15	<ul style="list-style-type: none"> वीटीपी द्वारा सहायक संचालक को ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किया जाना वार्षिक कार्य-योजना के अनुसार सहायक संचालक द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु ऑनलाईन आवेदन राज्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना राज्य प्राधिकरण द्वारा जिले की वार्षिक कार्य योजना तथा वीटीपी में संचालित बैच की संख्या तथा नियोजन के आधार पर टीबीएन की स्वीकृति/ निरस्तीकरण की कार्यवाही 7 दिवस के भीतर किया जाना 	<ul style="list-style-type: none"> नियोजन सुनिश्चित करने वाले वीटीपी को बैच का आबंटन किया जायेगा। योजनात्तर्गत एक हितग्राही को केवल एक बार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन में असफल होने पर वह पुनः स्वयं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर Direct Candidate Assessment (DCA) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। योजनात्तर्गत पूर्व से प्रशिक्षित हितग्राही को राज्य द्वारा चिन्हांकित उच्च स्तर (Up-Skilling) के कोर्सेस/जॉब रोल में कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। वीटीपी द्वारा सहायक संचालक को नियोजक का मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी, सप्ताहिक प्रशिक्षण योजना तथा काऊसलिंग से संबंधित जानकारी के साथ ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गार्डलाईन में किये गये प्रावधान
15		<ul style="list-style-type: none"> सहायक संचालक द्वारा नियोजक के मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी तथा कांडसलिंग से संबंधित जानकारी का सत्यापन कर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत 7 दिवस के भीतर राज्य प्राधिकरण को प्रशिक्षण बैच (TBN) स्वीकृति हेतु ऑन लाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा। राज्य प्राधिकरण द्वारा आवेदित बैच का परीक्षण किया जायेगा जिसमें मुख्यतः नियोक्ता का मांग पत्र, वीटीपी की ग्रेडिंग, प्रशिक्षक का विवरण, पूर्व नियोजन का रिकार्ड तथा वर्तमान में संचालित बैच संख्या के आधार पर टीबीएन की स्वीकृति/निरस्तीकरण, आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर की जायेगी।
कौशल प्रशिक्षण का संचालन		
16	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण संचालन का समय निर्धारित नहीं था। गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन 3 से 6 घंटे निर्धारित थी। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण का संचालन प्रातः 9.00 बजे से संध्या 6.00 बजे के मध्य किया जायेगा। गैर आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे तक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। वीटीपी में एक कोर्स में दो बैच संचालित होने की स्थिति में दोनों बैचों के मध्य न्यूनतम 1 घंटे का अंतराल होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण संचालन के दौरान अवकाश के रूप में केवल रविवार एवं शासकीय अवकाश मान्य होंगे।
कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति		
17	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। 	<ul style="list-style-type: none"> आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाईलाईन में किये गये प्रावधान
	<ul style="list-style-type: none"> बैच में पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों के अनुसार मूल्यांकन शुल्क का भुगतान राज्य प्राधिकरण को किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षक की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी। प्रशिक्षक की उपस्थिति के पश्चात् ही प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति मान्य की जायेगी। प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर प्रायोजक विभाग द्वारा वीटीपी के माध्यम से मूल्यांकन शुल्क का भुगतान, राज्य प्राधिकरण को किया जायेगा, किंतु न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
17		<ul style="list-style-type: none"> बैच प्रारंभ होने के एक माह में न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों की औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बैच को निरस्त कर दिया जायेगा।
प्रशिक्षक की योग्यता		
18	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, कोर्स के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव के अनुरूप होना अनिवार्य है। शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के साथ-साथ प्रशिक्षक का प्रशिक्षण (TOT) का प्रमाण पत्र भी आवश्यक था, किंतु अनिवार्य नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, कोर्स के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव के अनुरूप होना अनिवार्य है। शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के साथ-साथ प्रशिक्षक का प्रशिक्षण (TOT) का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। (वीटीपी पंजीयन के समय छूट प्रदान की जायेगी) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक में परिवर्तन करने की दशा में राज्य प्राधिकरण को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
अनुवीक्षण एवं निरीक्षण		
19	<ul style="list-style-type: none"> समस्त वीटीपी में कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य नहीं था। (कैमरा होने पर अंक दिये जा रहे थे।) 	<ul style="list-style-type: none"> समस्त वीटीपी में कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाईलाईन में किये गये प्रावधान
	<ul style="list-style-type: none"> आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा था किंतु अनिवार्य नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण बैच के समाप्ति तथा मूल्यांकन पूर्व न्यूनतम 2 निरीक्षण अनिवार्य होगा। साप्ताहिक प्रशिक्षण योजना प्रत्येक वीटीपी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के समय कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। वीटीपी द्वारा दिशा-निर्देश अथवा नियमों के उल्लंघन किये जाने की दशा में वीटीपी पर अधिकतम राशि रु. 50,000 तक का दंड अधिरोपित किया जायेगा।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग		
20	<ul style="list-style-type: none"> ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान था, किंतु अनिवार्य नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण पश्चात् तथा मूल्यांकन के पूर्व ऑन द जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की न्यूनतम अवधि 7 दिवस होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी संबंधित वीटीपी की होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी वीटीपी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन		
21	<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन में उपस्थिति के आधार पर मूल्यांकन एजेंसी को भुगतान किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन एजेंसी को प्रति बैच न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन का भुगतान किया जा सकेगा। आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाईलाईन में किये गये प्रावधान
		<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन एजेंसी को प्रथम बैच के आबंटन के पूर्व राशि 50,000 का बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा। मूल्यांकनकर्ता द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किये जाने पर अधिकतम राशि रु. 50,000 तक का दंड मूल्यांकन एजेंसी पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
प्रमाणीकरण		
22	<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन परिणाम वेब-पोर्टल पर अपलोड करने पर, राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र मुद्रण कर संबंधित जिला कौशल विकास प्राधिकरण को प्रदान किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन के 15 दिवस उपरांत सफल युवाओं को डिजिटल प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा पोर्टल पर प्रदान की जायेगी।
प्रशिक्षण उपरांत नियोजन तथा नियोजित युवाओं का ट्रेकिंग हेतु प्रक्रिया		
23	<p>प्लेसमेंट कैम्प -</p> <ul style="list-style-type: none"> जिला स्तर पर प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा था। <p>नियोजन की समय-सीमा तथा नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> वीटीपी द्वारा प्रत्येक बैच के सफल युवाओं का नियोजन, प्रमाणीकरण के उपरांत 6 माह के भीतर किया जाना था, उक्त अवधि के पश्चात् नियोजित किये गये युवाओं का नियोजन संबंधित क्लोम मान्य नहीं किया जाता था। नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग का उल्लेख नहीं था। 	<p>प्लेसमेंट कैम्प -</p> <ul style="list-style-type: none"> रोजगार कार्यालय तथा जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन के लिए एक कलेण्डर तैयार सेक्टरवार अलग-अलग प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जायेगा। <p>नियोजन की समय-सीमा तथा नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> वीटीपी द्वारा प्रत्येक बैच के सफल युवाओं का नियोजन, प्रमाणीकरण के उपरांत 3 माह के भीतर किया जाना होगा, उक्त अवधि के पश्चात् नियोजित किये गये युवाओं का नियोजन संबंधित क्लोम नहीं किया जा सकेगा। नियोजित युवाओं का न्यूनतम 3 माह तक ट्रेकिंग किया जाना अनिवार्य होगा। नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग राज्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। जिले में ही नियोजित युवाओं के शत्-प्रतिशत भौतिक सत्यापन का दायित्व जिला कौशल विकास प्राधिकरण का होगा।

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गाईलाईन में किये गये प्रावधान
25		<ul style="list-style-type: none"> वीटीपी द्वारा नियोजित किये गये युवाओं के ट्रेकिंग में जानकारी गलत पाये जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान होगा, जो उनके बैंक गारंटी में से अधिरोपित किया जा सकेगा।
24	<h3>नियोजन का सत्यापन</h3> <ul style="list-style-type: none"> सहायक संचालक द्वारा नियोजित हितग्राहियों से दूरभाष पर चर्चा कर नियोजन का सत्यापन किया जा रहा था। 	<h3>नियोजन का सत्यापन</h3> <ul style="list-style-type: none"> <u>रोजगार की दशा में -</u> <ul style="list-style-type: none"> ऑफर लेटर / नियुक्ति पत्र में जिसमें नियोक्ता का पंजीयन संख्या / लाईसेंस संख्या / जीएसटी संख्या का उल्लेख हो अथवा/एवं नियोक्ता द्वारा जारी सैलरी स्लिप को मान्य किया जायेगा। <u>स्वरोजगार की दशा में -</u> <ul style="list-style-type: none"> प्रोपराईटरशीप का प्रमाण पत्र / ट्रेड लाईसेंस / जीएसटी संख्या / व्यवसाय के नाम पर चालु खाता संबंधित दस्तावेज को मान्य किया जायेगा। रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थी द्वारा शपथ पत्र दिया जाना होगा।

प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण लागत के भुगतान की प्रक्रिया

25	<ul style="list-style-type: none"> प्रथम किश्त :- प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 01 माह पश्चात् प्रशिक्षण राशि का 20 प्रतिशत राशि देय होगा। द्वितीय किश्त :- प्रमाणीकरण एवं प्रशिक्षण बैच के कुल 20 प्रतिशत नियोजन पर प्रशिक्षण राशि का 40 प्रतिशत। तृतीय किश्त :- प्रशिक्षण बैच के कुल 50 प्रतिशत नियोजन पर प्रशिक्षण राशि का 20 प्रतिशत। चतुर्थ किश्त :- प्रशिक्षण बैच के कुल 70 प्रतिशत या 70 प्रतिशत से अधिक नियोजन होने की स्थिति में प्रशिक्षण राशि का 20 प्रतिशत राशि देय होगा। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रथम किश्त :- बैच आबंटन के 1 माह उपरांत प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा। द्वितीय किश्त :- मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण के उपरांत मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा। तृतीय किश्त :- मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध नियोजन प्रतिशत के आधार पर शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
----	---	--

क्र	पूर्व में प्रचलित प्रावधान	नवीनतम गार्डलाईन में किये गये प्रावधान
	<u>भुगतान की शर्तें :-</u> <ul style="list-style-type: none"> कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों में प्रशिक्षणार्थियों में वेतन मूलक रोजगार का प्रतिशत का निर्धारण नहीं था। जिला प्राधिकरण कार्यालय द्वारा संबंधित वीटीपी को प्रशिक्षण लागत का भुगतान आर.टी.जी.एस के माध्यम से किया जा रहा था। समय-सीमा का निर्धारित नहीं थी। 	<u>भुगतान की शर्तें :-</u> <ul style="list-style-type: none"> कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का वेतन मूलक रोजगार होना आवश्यक होगा। वीटीपी द्वारा तृतीय किश्त हेतु भुगतान का दावा अंतर्गत नियोजित युवाओं के विस्तृद्व प्रत्येक भुगतान दावे में 50 प्रतिशत वेतन मूलक या अधिक हितग्राहियों का नियोजन प्रस्तुत करना होगा। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण का संचालन केवल शासकीय वीटीपी के माध्यम से किया जायेगा। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्वरोजगार मान्य होगा। वीटीपी द्वारा प्रशिक्षण राशि की मांग किये जाने पर, दावे का सत्यापन कर वीटीपी को ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा 15 दिवस
ऑडिट रिपोर्ट		
26	<ul style="list-style-type: none"> उल्लेख नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> समस्त पंजीकृत वीटीपी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट अप्रैल माह में जिला कौशल विकास प्राधिकरण में जमा करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश

-- 00 --

1. वीटीपी पंजीयन की प्रक्रिया :-

- कौशल प्रशिक्षण हेतु पूर्व से पंजीकृत समस्त वीटीपी को नवीन गाईडलाईन के अनुसार पुनः पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा।
- वीटीपी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदित संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम 2013, के कंडिका क्रमांक 2.1 के अनुसार पात्र होना अनिवार्य होगा। (संलग्नक - ध्वज ब)
- आवेदित संस्था द्वारा वीटीपी पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा, जिसमें आवेदित संस्था द्वारा संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध आवश्यक अधोसंरचना यथा भवन कोर्स के अनुरूप उपकरण, औजार, लैब सेट-अप, क्लासरूम, इत्यादि की फोटोयुक्त जानकारी निर्धारित प्रारूप (स्व-ग्रेडिंग का प्रारूप अ एवं ब) में अपलोड की जायेगी।
- आवेदित संस्था द्वारा आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रु. 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट (नॉन-रिफन्डेबल) जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। ऑन लाईन किये गये आवेदन की हार्डकॉपी डिमांड ड्राफ्ट के साथ संबंधित जिला कौशल विकास प्राधिकरण के कार्यालय में 7 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। संस्था में नवीन कोर्स जोड़ने हेतु प्रति कोर्स राशि रु. 1500 निर्धारित होगी। शासकीय संस्थान को पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।
- आवेदित संस्था द्वारा किये गये आवेदन की प्रारंभिक जांच (वीटीपी पंजीयन हेतु आवश्यक पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच), कर सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर संस्था का निरीक्षण किये जाने हेतु वीटीपी निरीक्षण कमेटी को आवेदन अग्रेषित किया जायेगा अथवा आवेदन में कभी पाये जाने की स्थिति में, कारण सहित आवेदित संस्था को वापस करेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा वीटीपी निरीक्षण कमेटी का गठन, कौशल विकास/तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा के अनुरूप जिले में पदस्थ अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा। वीटीपी निरीक्षण कमेटी में तीन सदस्य होंगे -
 - पॉलिटेक्निक के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष
 - संबंधित जिले के सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण
 - सेक्टर विशेषज्ञ - पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई/कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत सेक्टर से संबंधित व्याख्याता/अध्यापक/विशेषज्ञ होंगे।



- वीटीपी निरीक्षण कमेटी द्वारा सहायक संचालक से निरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर, आवेदित संस्था का निरीक्षण करने के साथ-साथ स्व-ग्रेडिंग प्रारूप का सत्यापन कर प्रतिवेदन सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण को अपनी अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी, जिसकी एक प्रति राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निरीक्षण कमेटी के प्रतिवेदन प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण आवेदित संस्था का वीटीपी पंजीयन अथवा आवेदन निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- निरीक्षण कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण अनुशंसा पत्र राज्य प्राधिकरण को निर्धारित 7 दिवस के भीतर प्रेषित करेगा।
- कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित संस्था का वीटीपी पंजीयन के लिए अनुशंसा नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित संस्था को कारण सहित सूचना वेब-पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।
- जिला से प्राप्त आवेदन को 15 दिवस के भीतर आवेदित संस्था के निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान की गई विडियोग्राफी का अवलोकन कर संस्था का वीटीपी के रूप में पंजीयन अथवा निरस्तीकरण का अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
- वीटीपी पंजीयन की दशा में ॲनलाईन वीटीपी पंजीयन क्रमांक, लॉग-इन यूजर आईडी तथा पासवर्ड संबंधित जानकारी संस्था को उनके पंजीकृत ई-मेल पर प्राप्त होगा।
- निरस्तीकरण की दशा में, कारण सहित सूचना आवेदित संस्था को पंजीकृत ई-मेल पर अथवा ॲनलाईन आवेदन स्टेट्रेस पर वेब-पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।
- पंजीयन उपरांत आवेदित संस्थान से राशि रु. 50,000 की बैंक गारंटी (शासकीय संस्थान को छूट) तथा शासकीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग पार्टनर से अनुबंध की दशा में उक्त बैंक गारंटी ट्रेनिंग पार्टनर से लिया जाना आवश्यक होगा।

पंजीयन प्रपत्र:-

वीटीपी पंजीयन प्रपत्र को दो भाग (अ एवं ब) में विभाजित किया गया है, जिसे आवेदित संस्था द्वारा आवेदन के समय ॲनलाईन पोर्टल पर भरा जायेगा। पंजीयन प्रपत्र का सत्यापन वीटीपी निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण के दौरान किया जायेगा।

प्रपत्र का प्रथम भाग- अ

भाग अ अनिवार्य है, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है :-

- सोसायटी/फर्म/कंपनी इत्यादि की जानकारी
- जियो टैग फोटो के साथ वीटीपी संस्था का लोकेशन
- वीटीपी बिल्डिंग लेआउट
- लैब उपकरण के खरीदी के बिल



- एक सेक्टर के लिए एक लैब की उपलब्धता
- आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेस मशीन
- आई पी आधारित सभी कक्षाओं एवं लैब में सीसीटीवी कैमरा
- मानव संसाधन - केन्द्र प्रमुख, नियोजन अधिकारी, प्रशिक्षक एवं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर

प्रपत्र का द्वितीय भाग- ब

भाग- ब अंक आधारित होगा, अंकों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है :-

क्र.	मापदंड	निर्धारित अंक	क्र.	मापदंड	निर्धारित अंक
1	भवन का प्रकार	10	9	स्वच्छ जल की उपलब्धता	2
2	संस्थान का क्षेत्रफल	10	10	फायर फायटिंग उपकरण	4
3	कक्ष की साज सज्जा	6	11	स्वच्छता व हायजीन	4
4	लैब की साज सज्जा	6	12	स्वास्थ्य व सुरक्षा	5
5	नियोजन की उपलब्धि	10	13	पार्किंग एवं पेन्ड्री की सुविधा	6
6	पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच	8	14	एअर कंडिशन की सुविधा	4
7	ट्रांसपोर्ट की सुविधा	8	15	कम्प्यूटर कक्ष	6
8	वाशरूम की सुविधा (M/F/pwd)	4	16	लायब्रेरी की सुविधा	7
कुल अंक - 100					

2. प्रशिक्षण बैच निर्माण, आबंटन, प्रशिक्षण के संचालन की प्रक्रिया तथा कोर्स :-

● मोबिलाईजेशन -

- रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के आकड़े का उपयोग किया जायेगा।
- मोबिलाईजेशन कार्य संबंधित वीटीपी द्वारा किया जाना है।
- लाईवलीहुड कॉलेज/शासकीय संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु युवाओं के मोबिलाईजेशन के लिए प्राचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी/ सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।
- शासकीय वीटीपी की दशा में मोबिलाईजेशन टीम का गठन कर मोबिलाईजेशन कार्य संपन्न किया जायेगा।

● काऊंसलिंग -

- काऊंसलिंग की स्टेन्डर्ड प्रक्रिया अपनायी जायेगी जिसमें लघु फिल्म, प्रस्तुतीकरण तथा साइकोमेट्रिक टेस्ट का समावेश किया जायेगा। लघु फिल्म एवं प्रस्तुतीकरण राज्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- कौशल प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों की काऊंसलिंग जनपद स्तर पर आयोजित की जायेगी।

● बैच निर्माण -

- नियोजन सुनिश्चित करने वाले वीटीपी को बैच का आबंटन किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत एक हितग्राही को केवल एक बार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन में असफल होने पर वह पुनः स्वयं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर Direct Candidate Assessment (DCA) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
- योजनान्तर्गत पूर्व से प्रशिक्षित हितग्राही को राज्य द्वारा चिन्हांकित उच्च स्तर (Up-Skilling) के कोर्सेस/जॉब रोल में कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

● नवीन बैच हेतु आवेदन -

- नवीन बैच निर्माण हेतु वीटीपी द्वारा सहायक संचालक को नियोजक का मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी, सप्ताहिक प्रशिक्षण योजना तथा कांउसलिंग से संबंधित जानकारी के साथ ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।
- सहायक संचालक द्वारा नियोजक के मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी तथा कांउसलिंग से संबंधित जानकारी का सत्यापन कर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत 7 दिवस के भीतर राज्य प्राधिकरण को प्रशिक्षण बैच (TBN) स्वीकृति हेतु ऑन लाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।

● बैच की स्वीकृति

- राज्य कार्यालय द्वारा आवेदित बैच का परीक्षण किया जायेगा जिसमें मुख्यतः नियोक्ता का मांग पत्र, वीटीपी की ग्रेडिंग, प्रशिक्षक का विवरण, पूर्व नियोजन का रिकार्ड तथा वर्तमान में संचालित बैच संख्या के आधार पर टीबीएन की स्वीकृती के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य प्राधिकरण द्वारा बैच की स्वीकृति/निरस्तीकरण, आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

● प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण का संचालन प्रातः 9.00 बजे से संध्या 6.00 बजे के मध्य किया जायेगा।
- गैर आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे तक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
- वीटीपी में एक कोर्स में दो बैच संचालित होने की स्थिति में दोनों बैचों के मध्य न्यूनतम 1 घंटा का अंतराल होना अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण संचालन के दौरान अवकाश के रूप में केवल रविवार एवं शासकीय अवकाश मान्य होंगे।
- संचालित जॉब रोल/कोर्स में एन.एस.क्यू.एफ आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित ट्रेनिंग मटेरियल का उपयोग किया जायेगा।

● प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति

- आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षक की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी। प्रशिक्षक की उपस्थिति के पश्चात् ही प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति मान्य की जायेगी।

- प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
- प्रशिक्षणार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर प्रायोजक विभाग द्वारा वीटीपी के माध्यम से मूल्यांकन शुल्क का भुगतान, राज्य प्राधिकरण को किया जायेगा, किंतु न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- बैच प्रारंभ होने के एक माह में न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों की औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बैच को निरस्त कर दिया जायेगा।

● प्रशिक्षक की योग्यता

- प्रशिक्षक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, कोर्स के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के साथ-साथ प्रशिक्षक का प्रशिक्षण (TOT) का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक में परिवर्तन करने की दशा में राज्य प्राधिकरण को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

● अनुवीक्षण एवं निरीक्षण

- समस्त वीटीपी में कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा।
- सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण बैच के समाप्ति तथा मूल्यांकन पूर्व न्यूनतम 2 निरीक्षण अनिवार्य होगा।
- साप्ताहिक प्रशिक्षण योजना प्रत्येक वीटीपी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
- मूल्यांकन के समय कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- राज्य द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश अथवा नियमों के उल्लंघन किये जाने की दशा में वीटीपी पर अधिकतम राशि रु. 50,000 तक का दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।

● ऑन द जॉब ट्रेनिंग (OJT)

- प्रशिक्षण पश्चात् तथा मूल्यांकन के पूर्व ऑन द जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की न्यूनतम अवधि 7 दिवस होगी।
- ऑन द जॉब ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी वीटीपी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। यह सुविधा वीटीपी की लॉग-इन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

● प्रशिक्षण हेतु कोर्स एवं कोर्स सामग्री

- माझ्यूलर इम्पलॉयेबल स्किल्स (MES) के स्थान पर राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित कोर्सेस में प्रशिक्षण का संचालन किया जायेगा।
- वीटीपी द्वारा बैच प्रारंभ होने पर प्रशिक्षणार्थियों को 48 घंटों की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

82

3. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत मूल्यांकन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया

● मूल्यांकन

- मूल्यांकन एजेंसी को प्रति बैच न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन का भुगतान किया जा सकेगा।
- आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवार्ड्स के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- मूल्यांकन एजेंसी को प्रथम बैच के आबंटन के पूर्व राशि 50,000 का बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।
- मूल्यांकनकर्ता द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किये जाने पर अधिकतम राशि रु. 50,000 तक का दंड मूल्यांकन एजेंसी पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

● प्रमाणीकरण

- मूल्यांकन के 15 दिवस उपरांत सफल युवाओं को डिजिटल प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा पोर्टल पर प्रदान की जायेगी।

4. प्रशिक्षण उपरांत नियोजित युवाओं का ट्रेकिंग हेतु प्रक्रिया

● प्लेसमेंट कैम्प

- रोजगार कार्यालय तथा जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित के लिए एक कलेण्डर तैयार कर कार्यवाही की जायेगी।
- सेक्टरवार अलग-अलग प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जायेगा।

● नियोजित की समय-सीमा तथा नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग

- वीटीपी द्वारा प्रत्येक बैच के सफल युवाओं का नियोजित, प्रमाणीकरण के उपरांत 3 माह के भीतर किया जाना होगा, उक्त अवधि के पश्चात् नियोजित किये गये युवाओं का नियोजित संबंधित क्लेम नहीं किया जा सकेगा।
- नियोजित युवाओं का न्यूनतम 3 माह तक ट्रेकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।
- नियोजित युवाओं की ट्रेकिंग राज्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। शत्रु-प्रतिशत भौतिक सत्यापन का दायित्व जिला कौशल विकास प्राधिकरण का होगा।
- वीटीपी द्वारा नियोजित किये गये युवाओं के ट्रेकिंग में जानकारी गलत पाये जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान होगा, जो उनके बैंक गारंटी में से अधिरोपित किया जा सकेगा।

● नियोजन का सत्यापन :-

○ रोजगार की दशा में -

- ऑफर लेटर / नियुक्ति पत्र में जिसमें नियोक्ता का पंजीयन संख्या/ लाईसेंस संख्या / जीएसटी संख्या का उल्लेख हो अथवा/ एवं नियोक्ता द्वारा जारी सैलरी स्लिप को मान्य किया जायेगा।

○ स्वरोजगार की दशा में -

- प्रोपराईटरशीप का प्रमाण पत्र / ट्रेड लाईसेंस / जीएसटी संख्या / लोन संबंधित दस्तावेज / व्यवसाय के नाम पर चालु खाता संबंधित दस्तावेज को मान्य किया जायेगा।

रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थी द्वारा शपथ पत्र दिया जाना होगा।

5. प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण लागत का भुगतान की प्रक्रिया :-

- प्रथम किश्त :- बैच आबंटन के 1 माह उपरांत प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- द्वितीय किश्त :- मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण के उपरांत मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर प्रशिक्षण लागत की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- तृतीय किश्त :- मूल्यांकन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध नियोजन प्रतिशत के आधार पर शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।
- भुगतान की शर्तें :-

- कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का वेतन मूलक रोजगार होना आवश्यक होगा। वीटीपी द्वारा तृतीय किश्त हेतु भुगतान का दावा अंतर्गत नियोजित युवाओं के विरुद्ध प्रत्येक भुगतान दावे में 50 प्रतिशत वेतन मूलक या अधिक हितग्राहियों का नियोजन प्रस्तुत करना होगा।
- कृषि से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण का संचालन केवल शासकीय वीटीपी के माध्यम से किया जायेगा। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्वरोजगार मान्य होगा।
- वीटीपी द्वारा प्रशिक्षण राशि की मांग किये जाने पर, सत्यापन उपरांत वीटीपी को 15 दिवस के भीतर राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा।

6. ऑडिट रिपोर्ट :-

- समस्त पंजीकृत वीटीपी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट अप्रैल माह में जिला कौशल विकास प्राधिकरण में जमा करना अनिवार्य होगा।



VTP Registration

1- Name of the Organization (Society/Company/ Firm/NGO)	2- Organization Unique ID				
3- VTP NAME	4- VTP Centre Type (Govt. /Pvt.)				
5- VTP Address with Landmark:-	6- District:-	7- State: (CG & Other)			
8- Block	9- If Rural	10- kindly mention Panchayat Name & Village	11- If Urban	12- Nagar Palika and Ward	
13- Pin Code	14- Contact No	15- Mail Id	16- VTP Owner Name	17- Mobile no	18- Aadhar No.
19- PAN no. of VTP (if)	20- TAN no. of VTP (if)	21- *upload Centre's front photo with geo tag	21- VTP's location on Google Map	Lat.	Long.

VTP's photo from front Side

VTP Infrastructure layout and Lab Setup (Building Plan & Layout for skill training)

SAMPLE (top view)



VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark
		PART A – Compulsory	
1	<p>Eligibility for registration as VTP: Registered Society/ Firms/ Industry/ Trust or Recognized/ Accredited institute from Apprenticeship act 1961 or Any institute recognized/ Accredited from any University/ any educational board/ UGC/ AICTE or any registration that should be relevant for vocational training.</p> <p>(As per VTP Registration Regulation – 2013) click for link</p>	<p>Dropdown Option</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input style="width: 100%; height: 100%; border: none; outline: none; font-size: inherit; font-weight: inherit; color: inherit; background-color: transparent;" type="text"/> </div>	<p>Reg. No.</p> <p>Upload Document</p>
2	<p>Map and Registry papers of building (B1 etc.) for self-owned building, that should on the name of Society/ Centre/ any registered member of society/ Trust/ Firm/ Industry/ Educational institution/ Hospitals and Nursing Homes etc.</p> <p>Or</p> <p>Rent Agreement of building (If rented).</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input style="width: 100%; height: 100%; border: none; outline: none; font-size: inherit; font-weight: inherit; color: inherit; background-color: transparent;" type="text"/> </div>	<p>Yes/No</p> <p>Upload Document</p>
3	<p>*Electricity Bill / Landline Telephone bill of building.</p> <p>Electricity bill of last 2 months.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input style="width: 100%; height: 100%; border: none; outline: none; font-size: inherit; font-weight: inherit; color: inherit; background-color: transparent;" type="text"/> </div>	<p>Yes/No</p> <p>Upload Document</p>
4	<p>Aadhar Based Biometric Attendance System as per CSSDA Norms.</p> <p>Details can be accessed from this link: http://cssda.cg.nic.in/Global/MoreInfo.aspx</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input style="width: 100%; height: 100%; border: none; outline: none; font-size: inherit; font-weight: inherit; color: inherit; background-color: transparent;" type="text"/> </div>	<p>Yes/No</p> <p>Upload Photographs</p>

VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark															
5	<p>Internet Connectivity</p> <p>Availability of the Internet connectivity at the Training Centre, necessarily at the IT/Computer Laboratory, with speed of 1 mbps and above)</p>	<p>Drop Down Option</p> <p>1) Available 2) Unavailable</p>	<p>Upload Internet Speed (Screen-shot)</p>															
6	<p>Theory Classroom area/ Capacity of Classroom (For each Classroom):</p> <p>Minimum space requirement for classroom is as per NSQF course norms or minimum 300 square feet if details are not available under NSQF course guideline.</p> <p>Minimum space requirement per trainee in each Classroom is 10 Square Feet.</p> <p>Furniture availability:</p> <p>Table- Chair: 30 for students, Trainers Table and chair: 02 (for Master and Assistant Trainer) and a Writing board of minimum 20 square feet.</p>	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>Class room</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Session</td> <td>M</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Sector name</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Course name</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Class room Size</td> <td>LxW= T</td> <td></td> </tr> </table> <p>Add</p>	Class room	1		Session	M	E	Sector name			Course name			Class room Size	LxW= T		<p>M-Morning E -Evening</p> <p>Upload Photograph</p>
Class room	1																	
Session	M	E																
Sector name																		
Course name																		
Class room Size	LxW= T																	
7	<p>Laboratory area/ Capacity of Laboratory (For each Laboratory):</p> <p>Minimum space requirement for each Laboratory is as per <u>NSQF course norms</u> or minimum 300 square feet if details are not available under NSQF course guideline. Lab floor area should be in proportion to the course requirements. Minimum space requirement per trainee in each Laboratory is 10 Square Feet.</p>	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>Lab</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Session</td> <td>M</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Sector name</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Course name</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laboratory Size</td> <td>LxW= T</td> <td>LxW= T</td> </tr> </table> <p>Add</p>	Lab	1	2	Session	M	E	Sector name			Course name			Laboratory Size	LxW= T	LxW= T	<p>Next sector selection (Sector <= no. of room)</p> <p>Upload Photograph</p>
Lab	1	2																
Session	M	E																
Sector name																		
Course name																		
Laboratory Size	LxW= T	LxW= T																

VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark		
8	Availability of Equipment/ Tools/ Machinery in Laboratory For each Job Role (Course) Laboratory is equipped with mandatory equipments (<u>as per NSQF course norms</u>) for each course. Bills of all training equipments, machinery and furniture etc.& upload photo graphs of Equipment/ Tools/ Machinery in Laboratory	Drop Down Option All equipments available in the lab. Enter_Sector, course, equipments name and number as per list in textbox. Attach_bill document, sector wise	Upload Photograph		
9	Availability of CCTV Cameras Details can be accessed from this link: www.cssdm.org.in	YES/NO Option 1. Classrooms (Y/N) 2. Labs (Y/N)	Upload Photograph		
10	Washroom facility for male and female trainees (at least one) <i>cap</i>	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Male (Y/N)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Female (Y/N)</td> </tr> </table>	Male (Y/N)	Female (Y/N)	Availability of washroom facility for male and female trainees
Male (Y/N)					
Female (Y/N)					



VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark
	Mandatory Human Resource Availability:		
11	<p>1. Centre Coordinator. (Enter name, mob. no. and email) 2. Placement officer. (Enter name, mob. no. and email) 3. TOT certified Trainer as per job role. Sector, course, (name, qualification, experience, mob no. Aadhar no) 4. Office Assistant (who must have MIS entry skills) 5. Soft skill trainer</p> <p>Note: - *HR for positions (1, 2, 4) should be different individuals. They can also be used for the work of Office Assistant and Soft Skill Trainer provided they have requisite qualifications.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Enter Aadhar No. <input checked="" type="checkbox"/> Enter Aadhar No. <input checked="" type="checkbox"/> Enter AadharNo. <input type="checkbox"/> Select sector and course for trainer <input type="checkbox"/> TOT certified (upload certificate), <input type="button" value="Add trainer"/> <input type="button" value="Total Trainer"/>	Upload following documents for the HR: 1. Appointment letter 2. Resume 3. Documents related to qualifications
12	<p>Placement Record</p> <p>a. List of Employers with Contact Details b. Letter of Intent from Potential Employers</p>		<p>a. Upload documents b. Upload documents</p>



VTP Registration



PART B

S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark	Score	Marks
1	Type of Building	<p>Drop Down Option</p> <p>1- Part of Industry 2- Stand alone (Non residential building) 3- Part of Educational Institute- (I)University/collage (II)High school/ Higher Secondary School 4-Other</p>		10 6 6 4 0	10
2	Centre Area	<p>Drop Down Option</p> <p>1. More than 3000 sq ft 2. 1501 to 3000 sq ft 3. 700 to 1500 sq ft</p> <p>Enter centre area in text box <input type="text"/> sq ft</p> <p>Attach Layout</p>		10 5 2	10



VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark	Score	Marks													
3	Theory Classroom area/ Capacity of Classroom (For each Classroom): I. Tiled- 3 II. Plastered & Whitewashed- 3	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Class room</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>I</td> <td>II</td> <td>I</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Remarks (Y/N)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Class room	1	2	Type	I	II	I	II	Remarks (Y/N)					YES/NO	6	
Class room	1	2																
Type	I	II	I	II														
Remarks (Y/N)																		
4	Laboratory area/ Capacity of Laboratory I. Tiled- 3 II. Plastered & Whitewashed- 3	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Laboratory</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>I</td> <td>II</td> <td>I</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Remarks (Y/N)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Laboratory	1	2	Type	I	II	I	II	Remarks (Y/N)					YES/NO	6	
Laboratory	1	2																
Type	I	II	I	II														
Remarks (Y/N)																		
5	Placement Record	Past Placement Record (as verified on CSSDA Portal) Marks on pro rata basis on placement no. YES/NO	10	10														
6	Proximity to Public Transport	Drop Down Option A. 0 – 2 km B. 2.1 – 5 km C. More than 5 km	8 4 0	8 8 8														
7	Facility of Transport service by VTP	YES/NO	8	8														
8	Washroom facility for male and female trainees	Availability of washroom facility for male and female trainees <input type="checkbox"/> Male (Y/N) <input type="checkbox"/> Female (Y/N) <input type="checkbox"/> Differently abled (Y/N)	M -1 F -1 D -2	4														

71



VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark	Score	Marks
9	Safe/Clean Drinking Water facility	RO Water- 2 <input type="checkbox"/> Yes/ <input type="checkbox"/> No <input type="button" value="Upload Photographs"/>		2	
10	Fire-Fighting Equipment	- At least two of the following equipment's to be available at the Centre : 1. Water based Fire Extinguisher 2. Foam based Fire Extinguisher 3. Dry Powder based Fire Extinguisher 4. Carbon dioxide based Fire extinguisher 5. Wet Chemical based Fire Extinguisher 6. Fire fighting hose pipe 7. Sand bucket		4	
11	Cleanliness and Hygiene	a. Availability of dedicated Manpower- 2 b. Cleanliness of Classrooms and labs-1 c. Dustbins-1 <input type="checkbox"/> Yes/ <input type="checkbox"/> No		4	



VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark	Score	Marks																														
12	Health and Safety Facilities : First-Aid Kit Availability of the First-Aid kit First-Aid kit should contain below mentioned items, and the First aid box should be wall mounted at the Training Centre	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Items</th> <th></th> <th>Marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emergency telephone numbers for emergency medical services</td> <td>YES /No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sterile gauze pads (dressings) in small and large squares to place over wounds</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Disinfectants like Dettol or Savlon</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Medicines like pain killers and antibiotics</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Roller bandages to hold dressings in place</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Adhesive tape / Adhesive bandages in assorted sizes</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Scissors and Tweezers</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Antiseptic wipes or soap</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Thermometer</td> <td>YES /No</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>	Items		Marks	Emergency telephone numbers for emergency medical services	YES /No	1	Sterile gauze pads (dressings) in small and large squares to place over wounds	YES /No	0.5	Disinfectants like Dettol or Savlon	YES /No	0.5	Medicines like pain killers and antibiotics	YES /No	0.5	Roller bandages to hold dressings in place	YES /No	0.5	Adhesive tape / Adhesive bandages in assorted sizes	YES /No	0.5	Scissors and Tweezers	YES /No	0.5	Antiseptic wipes or soap	YES /No	0.5	Thermometer	YES /No	0.5		5	
Items		Marks																																	
Emergency telephone numbers for emergency medical services	YES /No	1																																	
Sterile gauze pads (dressings) in small and large squares to place over wounds	YES /No	0.5																																	
Disinfectants like Dettol or Savlon	YES /No	0.5																																	
Medicines like pain killers and antibiotics	YES /No	0.5																																	
Roller bandages to hold dressings in place	YES /No	0.5																																	
Adhesive tape / Adhesive bandages in assorted sizes	YES /No	0.5																																	
Scissors and Tweezers	YES /No	0.5																																	
Antiseptic wipes or soap	YES /No	0.5																																	
Thermometer	YES /No	0.5																																	
13	Availability of Pantry and Parking Facility. <i>Red</i>	Drop Down Option 1) Availability of pantry and parking facility 2) Availability of any one parameters i.e. pantry, parking facility 3) Unavailability of pantry and parking facility		0	6																														



VTP Registration



S. No.	Accreditation Standard	Availability (Please Mention)	Remark	Score	Marks										
14	Availability of Air Conditioner	Drop Down Option 1) All Classrooms and Labs- 4 2) Some Classrooms and labs-2 3) Not Available- 0	4 2 0	4 2 0											
15	Availability of Computer Room	Drop Down Option 1) Computers <table border="1" data-bbox="912 1139 1118 1543"> <tr> <th>No. of Computers</th><th>Marks</th></tr> <tr> <td>1-5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6-10</td><td>2</td></tr> <tr> <td>11-15</td><td>3</td></tr> <tr> <td>More than 15</td><td>4</td></tr> </table>	No. of Computers	Marks	1-5	1	6-10	2	11-15	3	More than 15	4	4	6	
No. of Computers	Marks														
1-5	1														
6-10	2														
11-15	3														
More than 15	4														
16	Library facility	1. Availability of library (a clearly demarcated area with at least 30 books per job role). <input type="checkbox"/> YES/NO 2. Daily News Paper: Minimum 2 (English and Hindi) <input type="checkbox"/> YES/NO 3. Monthly Magazines: Any no. of latest magazines related subject or career building of candidates in English/ Hindi. <input type="checkbox"/> YES/NO	5 1 1	1 1 7											

VTP Registration



Self Declaration –

I have carefully read and understood all the Quality Criteria and registration process for Inspection & Evaluation by the competent authority. I hereby confirm that all the information and evidences furnished as part of this application, submitted for VTP registration, are true to the best of my knowledge.

Name:

Date :

I Agree

Submit



VTP Registration

VTP Inspection Committee (VIC) Declaration

Inspection Committee remark (if any): -----

Declaration –

We have carefully read and understood all the Quality Criteria and registration process for Inspection & Evaluation by the competent authority. We hereby confirm that all the information and evidences furnished as part of this application, submitted for VTP registration, are true to the best of our knowledge.

Inspecting Officer :

Name _____
Designation _____
Mobile No. _____
Seal and Signature- _____

Inspecting Officer :

Name _____
Designation _____
Mobile No. _____
Seal and Signature- _____

Inspecting Officer :

Name _____
Designation _____
Mobile No. _____
Seal and Signature- _____

Grading Structure

Percentage of Scores	Grade
85% - 100%	5 Star
70% - 84%	4 Star
60% - 69%	3 Star
50% - 59%	2 Star
40% - 49%	1 Star



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019 — श्रावण 7, शक 1941

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2019/की.वि./42. —छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) एवं (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होगा, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त विनियमों में —

- विनियम 2.2 में, विनियम 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“2.2.4 आवेदित संस्था द्वारा आवेदन के साथ व्हीटीपी के रूप में पंजीयन के लिए राशि रु. 10,000 (नॉन-रिफन्डेबल) अथवा पूर्व से पंजीकृत व्हीटीपी में नवीन पाठ्यक्रम जोड़े जाने की दशा में प्रति पाठ्यक्रम राशि रु. 1500 (नॉन-रिफन्डेबल) का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम से देय हो, प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन शुल्क का उपयोग संस्था के निरीक्षण पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा। शासकीय संस्थाओं को इस पंजीयन शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

- 2.2.5 आवेदित संस्था के निरीक्षण के प्रयोजन हेतु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे ऐसी निरीक्षण समिति को संदर्भित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
- 2.2.6 निरीक्षण समिति, प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान, आवेदक अथवा किसी लोक सेवक से ऐसी कोई भी सूचना मांग सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक विकास प्राधिकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। निरीक्षण समिति को निरीक्षण कार्य हेतु मानदेय प्रदाय की जायेगी जिसका निर्धारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
- 2.2.7 निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत, जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण, पंजीयन की अनुशंसा सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को प्रतिवेदन प्रेषित करेगा अथवा उसका कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, आवेदन अस्वीकार करेगा या निरीक्षण समिति को मामला ऐसी कार्यवाही के लिए संदर्भित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
- 2.2.8 जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण आवेदक को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर सकेगा और एक पंजीयन संख्या समनुदेशित कर सकेगा अथवा उसका कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, आवेदन अस्वीकार कर सकेगा अथवा जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण को मामला ऐसी कार्यवाही के लिए संदर्भित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।”
2. विनियम 2.2 में, विनियम 2.2.8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

- “2.2.9 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में संस्था का पंजीयन होने की स्थिति में, राशि रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) बैंक गारंटी के रूप में, आवेदित संस्था से जिला कौशल विकास प्राधिकरण में जमा करायी जायेगी। यह राशि, संस्था द्वारा स्वयं पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होने अथवा उसकी वैधता अवधि की समाप्ति होने के पश्चात्, वापसी योग्य होगी।

शासकीय संस्थाओं को बैंक गारंटी से छूट प्राप्त होगी। तथापि, शासकीय संस्थाओं के ट्रेनिंग पार्टनर को बैंक गारंटी जमा करना होगा।

- 2.2.10 पंजीयन संख्या समनुदेशित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीयन विधिमान्य होगा, जब तक कि पूर्व की पंजीयन संख्या निरस्त न कर दी जाये।”
3. विनियम 2 में, विनियम 2.5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

“2.5 यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण संतुष्ट हो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पर अधिकतम राशि रु. 50,000 (पचास हजार) का अर्थदण्ड, उसके द्वारा पंजीयन के समय जमा की गई बैंक गारंटी को जब्त कर, अधिरोपित कर सकेगा अथवा उसके पंजीयन को निरस्त कर सकेगा अथवा सोसायटी/कम्पनी/फर्म/उद्योग के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीयन को, अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए निलंबित कर सकेगा अथवा सभी तीनों कार्यवाहियां, अर्थदण्ड रु. 50,000 तक, व्हीटीपी के पंजीयन का निरस्तीकरण तथा सोसायटी/कम्पनी/फर्म/उद्योग के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीयन को निलंबित कर सकेगा:

परंतु यह कि यदि किसी भी समय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतुष्ट हो कि उसके पास ऐसे कदम उठाने हेतु विचार करने का पर्याप्त कारण है जिनसे आगे चलकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के पंजीयन का निरस्तीकरण हो सकता है, तो वह ऐसे कदमों के पूर्ण होने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के पंजीयन को निलंबित कर सकेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2019

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 and clause (f) and (p) of sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No.17 of 2013), the Chhattisgarh State Skill Development Authority, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training Provider) Regulations, 2013, with effect from 1st August, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the said regulations, -

1. In regulation 2.2, for regulation 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 and 2.2.8, the following shall be substituted, namely:-
 - "2.2.4 Applicant institute has to submit a demand draft of Rs 10,000 (non refundable) for registration as a VTP or in case of new courses being added for already registered VTP a demand draft of additional amount Rs 1500 (non-refundable) per course has to be submitted along with application payable to Chief Executive officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority. This registration fee can be used for meeting the expenditure in inspection of institution. Government institutes shall be exempted from this registration fee.
 - 2.2.5 For the purpose of inspection of applicant institution, the Chief Executive Officer may refer the same to such Inspection Committee as he may deem fit.
 - 2.2.6 During inspection of training centers, the inspection committee would be able to demand any such information which from applicant or public servant it finds necessary and after deciding it would submit its recommendation of approval or non-approval to District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority. The inspection committee shall be provided honorarium for inspection which shall be fixed by Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority.

- 2.2.7 After duly considering the report of the Inspection Committee, the District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority shall submit the report to Chief Executive officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority with recommendation of registration or shall reject the application after recording the reasons thereof or refer the matter to the Inspection Committee for such actions as he may deem fit.
- 2.2.8 After duly considering the recommendation of District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority, Chief Executive officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority may either register the applicant as a Vocational Training Provider and assign a registration number or reject the application after recording the reasons thereof or refer the matter to the District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority for such actions as he may deem fit."
2. In regulation 2.2, after regulation 2.2.8, the following shall be added, namely:-
- "2.2.9 In case of registration of the institution as a Vocational Training Provider an amount of Rs 50,000/- (Fifty thousand only) has to be deposited by applicant institution as a bank guarantee to District Skill Development Authority. The amount shall be refundable in case the institution itself applies for cancellation of registration or in case of end of validity period.
- Government institution shall be exempted from bank guarantee. However, training partners of Government Institutions shall have to deposit bank guarantee.
- 2.2.10 The registration shall be valid for a period of three years from the date of assignment of the registration number, unless the registration number is cancelled earlier."
3. In regulation 2, for regulation 2.5, the following shall be substituted, namely:-
- "2.5 In case the Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority is satisfied that the Vocational Training Provider has failed to adhere to any provision of the Act, the Rules and Regulations framed there under, he may after giving due opportunity of hearing to the Vocational Provider, can impose a penalty maximum of Rs 50,000 (Fifty Thousand) by seizing the bank guarantee deposited at the time of the registration or can cancel the registration of the Vocational Training Provider or can suspend the registration of society/company/firm/industry as a Vocational Training Provider for a maximum period of up to three years or can take all three actions levying penalty up to Rs. 50,000, cancelling the registration of VTP and suspending the

registration of society/company/firm/industry as a Vocational Training Provider:

Provided that, if at any point of time the Chief Executive Officer is satisfied that there is sufficient reason for him to consider steps that may lead to cancellation of registration of a Vocational Training Provider, he can suspend the registration of the Vocational Training Provider till completion of such steps."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.K. TANDON, Additional Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2019/कौ.वि./42. —छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदूत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो 1 अगस्त, 2019 से प्रभावशील होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियम में -

1. विनियम 3 में, विनियम 3.1 (क) में, अर्ध विराम चिन्ह ";" के पश्चात्, शब्द "और" का लोप किया जाये।
2. विनियम 3 में, विनियम 3.1(ख) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, अर्ध विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये।
3. विनियम 3 में, विनियम 3.1 (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
 - "(ग) तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम से रु. 50,000 (पचास हजार) की बैंक गारंटी जमा करेगा;
 - (घ) मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किसी नियम/प्रावधान के अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकतम राशि रु. 50,000 (पचास हजार) तक का अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा; और
 - (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसी को प्रति बैच अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन राशि का भुगतान करेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2019

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 and clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (17 of 2013), the Chhattisgarh State Skill Development Authority, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014, with effect from 1st August, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said regulations, -

1. In regulation 3, in regulation 3.1 (a), after the punctuation semi colon ";" the word "and" shall be omitted.
2. In regulation 3, after regulation 3.1 (b), for the punctuation full stop ".", the punctuation semi colon ":" shall be substituted.
3. In regulation 3, after regulation 3.1 (b), the following shall be added, namely;
 - (c) Third Party Assessment Agency shall deposit a bank guarantee of Rs. 50,000 (fifty thousand) in the name of Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority;
 - (d) In case the assessment agency fails to adhere to any rule/provision, Chief Executive Officer can impose a maximum penalty of Rs. 50,000 (fifty thousand); and
 - (e) Chhattisgarh State Skill Development Authority shall pay assessment cost of minimum 10 trainees per batch to the Third Party Assessment Agency."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDON, Additional Secretary.